


:: प्रारूप - 6 ::

श्री सतीशचन्द्र शर्मा व्याख्याता-समाजशास्त्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सावरदा, दूदू, जयपुर जन्मतिथि 09.03.1960 का सेवानिवृति आदेश संयुक्त निदेशक जयपुर द्वारा दिनांक 08.03.2019 को वरिष्ठ अध्यापक पद से जारी किया जा चुका है तत्पश्चात कार्मिक दिनांक 31.03.2020 को व्याख्याता विषय - समाजशास्त्र के पद से सेवानिवृत हुए है।


यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीशचन्द्र शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम- 19 के अधीन कोई प्रिक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृति/2019-20/594 दिनांक:- 30/06/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवानिवृत होने वाले प्राध्यापक से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
6. संबंधित कार्मिक.....
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर